रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2014/चैत्र 13, 1936
No. 194] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2014/CHAITRA 13, 1936

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 264 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संग्रहालय में अपर महानिदेशक और संयुक्त महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय संग्रहालय (अपर महानिदेशक और संयुक्त महानिदेशक) संस्कृति मंत्रालय,भर्ती नियम, 2014 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन/ वेतनमान**: —उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है या ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
अपर महानिदेशक	*दो (2) (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क'(राजपत्रित), अनुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000रू.+ ग्रेड वेतन10000रू.	लागू नहीं	आयु 50 वर्ष से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड,	**अनिवार्य:** (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संग्रहालय विज्ञान अथवा कला इतिहास अथवा इतिहास अथवा संस्कृत अथवा पाली अथवा प्राकृत अथवा फारसी अथवा अरबी या पुरातत्व विज्ञान अथवा मानव विज्ञान अथवा ललित कला या रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री ; और (ii) प्रकाशित अनुसंधान कार्य के प्रमाण सहित संग्रहाल्याध्यक्ष और उससे ऊपर के पद पर किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संग्रहालय में पंद्रह वर्ष का कार्यानुभव। **वांछनीय** :- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा एम.बी.ए.। **टिप्पणी 1 -** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेख- बद्ध करते हुए,अर्हताएं,संघ लोक सेवा आयोग के

					अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2 -** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।	50% - संयुक्त पद्धति द्वारा : प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति; 50 % - सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी :** यदि पोषक ग्रेड में संयुक्त महानिदेशक के दो पदों में से एक पद पदोन्नत अधिकारी द्वारा धारित किया जाता है तो संयुक्त पद्धति और तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ 8700 रू. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड 4,रू. 37400-67000 में संयुक्त महानिदेशक के स्थान पर प्रोन्नति की पद्धति 50 % पदों के लिए संचालित की जाएगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	**(12)**	**(13)**
समग्र विधि [प्रतिनियुक्ति (आईएसटीएस) या प्रोन्नति**]** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत अधिकारी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा अनुसंधान संस्थाओं या सांवधिक तथा स्वायत्त	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति**	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

संगठनों के प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर अथवा समतुल्य:– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400-67000रु. और 8900रु. के ग्रेड-वेतन या समतुल्य के पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो: या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400-67000रु. और 8700रु. के ग्रेड-वेतन या समतुल्य के पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो: और (ख) जो स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों:- **टिप्पण :** विभागीय संयुक्त महानिदेशक, जो इस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन बैंड 4, 37400-67000रु. और ग्रेड वेतन 8700रू. में है, पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उनका इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है, तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा। **टिप्पण 1 :**जहां पर ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होनी चाहिए और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) शामिल है, सामान्य रूप से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	**(प्रोन्नति पद्धति प्रचालित किए जाने की दशा में)** : 1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - **अध्यक्ष** 2. अपर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - **सदस्य** 3. महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय - **सदस्य** **समूह 'क' विभागीय सम्पुष्टि समिति** 1. सचिव (संस्कृति) - **अध्यक्ष** 2. अपर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - **सदस्य** 3. महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय - **सदस्य**	

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा के सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त महानिदेशक	*दो (02) (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000रू.+ ग्रेड वेतन 8700रू.	लागू नहीं होता	आयु, 50 वर्ष अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी :** - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	**अनिवार्य:** (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संग्रहालय विज्ञान या कला इतिहास या इतिहास या संस्कृत या पाली या प्राकृत या फारसी या अरबी या पुरातत्व विज्ञान या मानव विज्ञान या ललित कला या रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री ; और (ii) प्रकाशित अनुसंधान कार्य के प्रमाण सहित संग्रहाल्याध्यक्ष और उससे ऊपर के पद पर किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संग्रहालय में बारह वर्ष का कार्यानुभव।

						वांछनीय :- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रबंधन या एमबीए में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **टिप्पणी 1 -** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2 -** अनुभव संबधी अर्हता कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती कर्मचारियों के लिए एक वर्ष।	50 प्रतिशत संयुक्त पद्धति द्वारा : [प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) या प्रोन्नति] 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(11)	**(12)**	**(13)**
संयुक्त पद्धति : [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति] केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :**	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

संस्थाओं या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत प्रोफेसर या एसोसियेट प्रोफेसर या समतुल्य; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100रु. और 7600रु. के ग्रेड-वेतन या समतुल्य के पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो : और (ख) जो स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पणी :** वेतन बैंड 3, 15600-39100 **रु.** और 7600 **रु.** ग्रेड वेतन में विभागीय निदेशक (संग्रह और प्रशासन) – जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है उन्हें भी बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ नियुक्ति प्रस्ताव देने पर विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति हेतु उनका चयन कर लिया जाता है तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ मान लिया जाएगा। [प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीएस) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (आईएसटीसी) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।] **टिप्पणी** : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	**1. सचिव (संस्कृति) –अध्यक्ष** **2. अपर सचिव, संस्कृति मंत्रालय -सदस्य** **3. महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय -सदस्य**	

[फा.सं. 6-56/2010-एम-I]

प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March , 2014

G.S.R. 264 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Additional Director General and Joint Director General, in the National Museum, in the Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and commencement.–

(1) These rules may be called the National Museum (Additional Director General and Joint Director General), Ministry of Culture Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Pay Band or Grade Pay/ Pay Scale. – The number of post, its classification and the Pay Band or Grade Pay / Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns 1 to 4 of the Schedule I to V annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule annexed to these rules.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

provided that the Central Government; may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Additional Director General	*Two (02) (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' (Gazetted), Ministerial	PB:4 Rs. 37400-67000 Grade Pay Rs. 10000	Not applicable.	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note: -** The crucial date for determining	**Essential:** (i) Master's degree from a recognized University by UGC or Association of Indian Universities in Museology or History of Art or History or Sanskrit or Pali or Prakrit or Persian or

					the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak Division of the Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Arabic or Archaeology or Anthropology or Fine Arts or Chemistry; and (ii) fifteen years' of experience at a level of Curator and above in a Museum of National or International repute with evidence of published research work. **Desirable:** Post Graduate diploma in Management or MBA from a recognised Institute or University. **Note**1.- Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualification regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Not applicable	One year for direct recruit.	(i) 50% – By Composite Method: Deputation (including short term contract) or promotion; (ii) 50% – By Direct Recruitment Note: In case one of the two posts of Joint Director General in feeder grade is held by promotee, the method of promotion will be operated for 50% of the post instead of composite method and the Joint Director General in PB-4, Rs, 37,400-6700 plus grade pay of Rs. 8,700 with three years regular service.

In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Composite Method [Deputation (ISTC) or Promotion] Officers under the Central Government or the State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Professor or Associate Professor or equivalent from recognized Universities or Research Institutions or Statutory and Autonomous Organisation; A. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-4 of Rs. 37400-67000/- with Grade Pay of Rs. 8900/- or equivalent in the parent cadre or department; Or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-4 of Rs. 37400-67000/- with Grade Pay. Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. **Note:** The departmental Joint Director General in Pay Band -4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8700 with three years regular service in the Grade shall also be considered alongwith outsiders and in	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (In case Promotion method is operated):** 1. Chairman / Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Additional Secretary, Ministry of Culture – Member 3. Director General, National Museum – Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee:** 1. Secretary (Culture), – Chairman 2. Additional Secretary, Ministry of Culture – Member 3. Director General, National Museum – Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for Composite method and direct recruitment.

case he or she is selected for appointment to the post of same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation or absorption. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one Grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the Post (s) for which that Grade or Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
2. Joint Director General	*Two (02) (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' (Gazetted), Ministerial	PB: 4, Rs. 37400-67000 Grade Pay Rs. 8700/-	Not applicable.	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note: -** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak Division of the Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub Division of the Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential:** (i) Master's degree from a University recognised by University Grants Commission or Association of Indian Universities in Museology or History of Art or History or Sanskrit or Pali or Prakrit or Persian or Arabic or Archaeology or Anthropology or Fine Arts or Chemistry: and (ii) twelve years' experience at level of Curator and above in a Museum of National or International repute along with evidence of published research work. **Desirable:** Post Graduate diploma in Management or MBA from a recognised University. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the

						discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

8	9	10
Not applicable	One year for direct recruits.	50% - By Composite Method: [Deputation (ISTC) or promotion] 50% - By Direct recruitment

11	12	13
Composite Method: [Deputation (including short term contract) or promotion]. Officers under the Central Government or the State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Professor or Associate Professor or equivalent of Universities or Recognized Research Institutions or Statutory or Autonomous Organizations; (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100/- with Grade Pay Rs. 7600/- or equivalent in the parent cadre or department; and	**Group A Departmental Confirmation Committee consisting of :-** 1. Secretary (Culture), – Chairman 2. Additional Secretary, Ministry of Culture – Member 3. Director General, National Museum – Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note:** The departmental Director(Collection and Administration) in Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600 with five years regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post of same shall be deemed to have been filled by promotion. [Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application]. **Note:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6^{th} CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s)for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F.No.6-56/2010-M.I]

PRAMOD JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.